B.A II HONS

मूल अधिकार के प्रकार

प्रारम्भ में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में बाँटा गया था। लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं।

(i) समानता का अधिकार (अनु० 14 से 18)
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार (अनु० 19 से 22)
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु० 23 से 24)
(iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु० 25 से 28)
(v) संस्कृति एवं शिक्षा सम्बंधि अधिकार (अनु० 29 से 30)
(vi) सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनु० 32)

समानता का अधिकार

(i) विधि के समक्ष समानता — संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है "भारत राज्य अपने राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।" इसका तात्पर्य है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की ओर से कानूनों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है।

Scanned with CamScanner

(ii) धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव का अन्त — संविधान के अनुच्छेद 15 मे स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, तथा जन्म-स्थान के आधार पर नागरिको के साथ कोई भेद भाव नही करेगा। राज्य द्वारा प्रत्येक नागरिको को यह अधिकार दिया गया है कि वे दुकानो तथा सार्वजनिक स्थानो- जैसे जलपान-गृहो, कुओं, तालाबो, नदी के घाटो, सड़को, पार्को, तथा ऐसे सार्वजनिक प्रयोगो के स्थानो पर जाने से नही रोका जा सकता।

(iii) अवसर की समानता — अनु० 16 के अनुसार, सभी नागरिको को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। धर्म, जाति, लिंग, सम्प्रदाय आदि के आधार पर नौकरियों मे कोई भेदभाव नही किया जायेगा। इस अधिकार के भी कुछ अपवाद है लेकिन इनमे समानता के अधिकार का उल्लंघन नही होता। अपवाद इस प्रकार है —

Scanned with CamScanner

(i) राज्य कुछ पिछड़े हुए वर्गों के लिए राज्याधीन नौकरियों में स्थान सुरक्षित कर सकता है।
(ii) राज्य कुछ पदों के लिए योग्यताएँ निर्धारित कर सकता है
(iii) संसद कानून द्वारा राज्यों को यह अधिकार दे सकती है कि वे किसी पद के उम्मीदवार के लिए अमुक राज्य का निवासी होना आवश्यक कर दें॥

(iv) छुआछूत का अन्त — संविधान के अनु० 17 के अनुसार, छुआछूत का अन्त कर दिया गया है। जो नागरिक छुआछूत को मानेगा तथा इसे बढ़ावा देगा, वह दण्ड का भागी होगा। यह कानून अन्य कानूनों की अपेक्षा अधिक कठोर है। डॉ. जेनिंग्स ने लिखा है " छुआछूत का खात्मा कोई अधिकार नहीं है, उससे तो केवल सामाजिक अयोग्यता दूर होती है " लेकिन फिर भी यह एक मूल अधिकार माना गया है क्योंकि इससे अछूतों के साथ किये

गये अन्यायों का समाधान होता है।

(v) उपाधियों का अन्त — अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गयी है, "सैन्य सेना, सेवा अथवा विद्या सम्बंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा।"

★ यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा।

★ कोई विदेशी, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

★ राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधि अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

Dr. Khushboo
Dept.- Pol. Sc.

Scanned with CamScanner